टिप्पणियां :

1 कंपनी ने 01.04.2018 से इंड एएस को अपनाया और पारगमन (ट्रांजिशन) को लागू करने की तारीख 01.04.2017 थी। तदनुसार, उपर्युक्त वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित उसके अधीन जारी नियमों के अंतर्गत निर्धारित इंड एएस के मान्यता एवं मापक सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए गए है। इंड एएस के लिए पारगमन (ट्रांजिशन), इसके अधीन जारी संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम और आरबीआई (पूर्व में जीएएपी रूप में संदर्भित) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन अधिसूचित पूर्ववर्ती लेखाकरण मानकों से निष्पादित किया गया है। पारगमन के प्रभाव की गणना 01.04.2017 को प्रारंभिक आरक्षित राशियों में की गई है। जीएएपी के अंतर्गत तैयार किए गए इसी अवधि के परिणाम इंड एएस को विधिवत दोहराए गए हैं।

ये वित्तीय परिणाम इंड एएस के आधार पर तैयार किए गए हैं जो 31.12.2018 से कंपनियों के लिए लागू हैं। आरबीआई या अन्य विनियामकों द्वारा जारी कोई भी आवेदन सलाह/दिशानिर्देश, जब एवं जैसे ही वह जारी होते हैं, उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

2 इन वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और दिनांक 11.02.2019 को आयोजित संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक एम.के.अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और गांधी मिनोचा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन हैं।

3 पूर्ववर्ती जीएएपी और इंड एएस के अंतर्गत रिपोर्टेड आंकड़ों के बीच निवल लाभ समाधान इस प्रकार है:

विवरण	**31.12.2017 को समाप्त तिमाही (रुपए करोड़ में)**	**31.12.2017 को समाप्त नौमाही (रुपए करोड़ में)**
पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत यथा रिपोर्टेड कर पश्चात निवल लाभ	**1,604.43**	**4,919.62**
_____ से संबंधित समायोजन :		
प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर)/परिशोधित लागत पर ऋण परिसंपत्तियों पर आय	(9.40)	(422.35)
परिशोधित लागत पर वर्गीकृत ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर	(10.10)	(26.16)
डेरिवेटिव (पूर्व में एएस 11 के माध्यम से प्रशासित वायदा संविदाएं)	(34.61)	(67.36)
इंपेयरमेंट लॉस अलाउंस	(298.51)	(1,562.00)
अन्य	(50.16)	(59.67)
उपर्युक्त पर आस्थगित कर प्रभाव (डीटीए/डीटीएल)	25.91	262.49
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित राशि से अधिक संचयी इंपेयरमेंट अलाउंस की राशि पर डीटीए	(10.62)	520.71
समायोजनों का योग	**(387.49)**	**(1,354.34)**
इंड एएस के अनुसार कर पश्चात निवल लाभ	**1,216.94**	**3,565.28**
अन्य व्यापक आय, कर को घटाकर	131.37	6.14
इंड एएस के अनुसार कुल व्यापक आय (कर को घटाकर)	**1,348.31**	**3,571.42**

4 कंपनी के लिए लागू आरबीआई मास्टर निदेशों के परिणामस्वरूप होने वाले लेखाकरण संव्यवहार की प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दे पर आरबीआई के साथ चर्चा की गई थी। आरबीआई की तरफ से स्पष्टीकरण लंबित होने पर, कंपनी ने ऋणों के एक जैसे समूह के आधार पर अपनी ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल मूल्यांकन/ऋण या पोर्टफोलियो स्तर पर आरबीआई

	मानदंडों से अधिक इंपेयरमेंट लॉस अलाउंस का सृजन किया है। 31.12.2018 को संचयी इंपेयरमेंट लॉस अलाउंस (ह्रासित साख वाले ऋणों, अन्य ऋणों और प्राप्य राशियों पर) 16,873.95 करोड़ रुपए बनता है, जिसमें 1,341.02 करोड़ रुपए का अतिरिक्त संचयी इंपेयरमेंट अलाउंस (ईसीएल मूल्यांकन से अधिक) शामिल है। ह्रासित साख वाली ऋण परिसंपत्तियों और उन पर किए गए प्रावधान के ब्योरे इस प्रकार हैं: (रुपए करोड़ में) **विवरण** — **31.12.2018 तक** ह्रासित साख वाली ऋण परिसंपत्तियां — 28,235.86 इंपेयरमेंट अलाउंस मेंटेंड — 14,488.53 इंपेयरमेंट अलाउंस कवरेज(%) — 51.31%
5	विवेकपूर्ण उपाय के तौर पर, ह्रासित साख वाली ऋण परिसंपत्तियों पर आय केवल तभी मान्य है जब प्रत्याशित वसूली बकाया ऋण राशि से अधिक हो।
6	प्रेस सूचना ब्यूरो ने अपनी दिनांक 06.12.2018 की विज्ञप्ति आईडी नंबर 1554933 द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया है कि कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आरईसी लिमिटेड में कुल प्रदत्त शेयरधारिता की भारत सरकार की मौजूदा 52.63% की रणनीतिक बिक्री प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ कंपनी को करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दीहै। आवश्यक अनुमोदन के अधीन 20.12.2018 को आयोजित उनकी बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ आरईसी लिमिटेड में भारत सरकार की संपूर्ण शेयरधारिता को खरीदने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। तदनुसार, लेनदेन को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
7	वर्तमान तिमाही के दौरान, भारत सरकार ने फॉलो-ऑन फंड ऑफर के संबंध में कंपनी में धारित 10,98,08,544 इक्विटी शेयर सीपीएसई, ईटीएफ़ की एसेट मेनेजमेंट कंपनी (एएमसी) में हस्तांतरित किए हैं। तदनुसार, कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 65.64% से 61.48% तक रह गई है।
8	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने दिनांक 07.02.2019 के आदेश द्वारा पीएफ़सी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के कंपनी के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। एमसीए ने अपने दिनांक 30.01.2019 के आदेश द्वारा पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों) के पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है।
9	कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी प्रतिभूत बॉण्ड और 31.12.2018 तक बकाया बॉण्ड के लिए, कंपनी की प्राप्य राशियों पर निर्दिष्ट अचल संपत्तियों और / या प्रभार पर बंधक के माध्यम से 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।
10	कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करना है और तदनुसार, इंड एएस 108 प्रचालन खंडों के अनुसार कोई रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।
11	आंकड़ों को तुलनीय बनाने के उद्देश्य से उन्हें जहां भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11.02.2019

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 00973413